न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 18/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2012/00035

उनवान

1. वशीर
2. रमजान
3. इदरीश
4. जैकम

पिसरान अर्जुन जाति मेव निवासी ग्राम भीलमका तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुस0 ऐमना खातून पुत्री रूहताज पत्नी विनियामीन जाति मेव निवासी ग्राम भीलमका तहसील डीग जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम टायरा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....रैस्पो0/वादिनी

2. बलजीत पुत्र रूद्दार उर्फ रूजदार
3. मुस0 फजरी वेवा निज्जर
4. अरसद पुत्र निज्जर
5. हसन मोहम्मद पुत्र निज्जर
6. मुशाद
7. लियावत
8. जमशीदा पुत्री निज्जर

नाबालिग व विलायत व रिफाकत मुस0 फजरी वेवा निज्जर माता खुद।

9. मजीद
10. हमीद
11. नसीर
12. रसीद
13. ईशाक

पिसरान फजर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम भीलमका तहसील डीग।

14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीग जरिये शाखा प्रबंधक।
15. तहसीलदार तहसील डीग, प्रतिनिधि राज0 सरकार।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 23.12.2008 मि.नं. 28/08 उनवानी ऐमना बनाम वशीर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री भूपेन्द्र सिंह सिनसिनवार अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–20.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादिनी ऐमना ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद विरूद्ध अपीलाण्ट्स एवं शेष रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भीलमका तहसील डीग में रैस्पो0/वादिनी के पिता रूहताज खॉ का 1/2 हिस्सा एवं कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस पर रैस्पो0/वादिनी के पिता अपने जीवनकाल में काबिज थे उनकी मृत्यु के बाद से रैस्पो0/वादिनी काबिज चली आ रही है। परन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं शेष रैस्पो0 ने रैस्पो0/वादिनी के अधिकारो को समाप्त करने के उद्देश्य से विरासतन, दाखिल खारिज तत्तकालीन हल्का पटवारी, गिरदावर से साज कर दिनांक 28.11.1972 को अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया। जिसकी जानकारी रैस्पो0/वादिनी को नहीं थी। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर वह रैस्पो0/वादिनी के कब्जे काश्त व खातेदारी में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस, बार–बार आवाज दिलवाये जाने पर भी रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का विधिवत रूप से अवलोकन किये बिना सहज कयासो के आधारो पर रैस्पो0/वादिनी का दावा डिक्री किया है जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे रैस्पो0/वादिनी का दावा डिक्री किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय से ना तो अपीलाण्ट को कोई सम्मन पहुॅचे ना ही उनकी तामील हुई, जिस कारण से हम अपना पक्ष नहीं रख सके। रैस्पो0/वादिनी ने फर्जकारी से अपीलण्ट की तामील दिखाई है। रैस्पो0/वादिनी रूहताज की पुत्री नहीं है। रूहताज लाबल्द विला औरत फौत हुआ था एवं उसकी मृत्यु पश्चात् उसके विधिक वारिसान के पक्ष में विरासतन का दाखिला खारिज खोला गया था। रैस्पो0/वादिनी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही उसके द्वारा मृतक रूहताज की पुत्री होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। असल रैस्पो0/वादिनी ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर दिनांक 28.05.2018 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर, उक्त अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना बताया जाकर, विवादित भूमि पर अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 का कब्जा काश्त होना अंकित किया है एवं उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी से पूर्व एक राजीनामा दिनांक 03.04.2012 भी प्रस्तुत किया है, जिसमें रैस्पो0/वादिनी की अपील स्वीकार करने एवं अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 के कब्जे काश्त व खातेदारी में होने की स्वीकृति अंकित है। परन्तु पत्रावली में उपलब्ध जन्म प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत बद्रीपुर पंचायत समिति डीग एवं रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन, भरतपुर के द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रीकरण संख्या 16 दिनांक 28.05.2011 से स्पष्ट जाहिर है कि रैस्पो0/वादिनी मूल खातेदार रूहताज की पुत्री है। अतः उसके अधिकारो का विनिश्चय होना शेष है, मात्र सहमति/राजीनामा से रैस्पो0/वादिनी के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश भी एक पक्षीय रूप से डिक्री हुआ है, जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के लिए रिमांड किया जाता है। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर